

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

एफ.6(179)परि / कर / मु. / 95 / 10 सी

जयपुर, दिनांक :— 22.7.99

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय समय पर यथा—संशोधित अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि / टैक्स / एच क्यू / 95 / 10 दिनांक 31 मार्च 1997 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

1. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के नीचे विद्यमान स्पष्टीकरण (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा :—

“ (ii) कर की दर के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “सामान्य यान” से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 3~2 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।

(iii) कर की दर के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “सामान्य यान से अन्यथा” से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 2~2 या 2~1 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।”।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव